सं. डब्ल्यू-02/0017/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-iv/17

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

....

लोक उद्यम भवन,

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003.

दिनांक : 01 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं - तकनीकी औपचारिकता के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को सीपीएसई में पेंशन और सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना के स्पष्टीकरण के संबंध में इस विभाग के दिनांक 21/05/2014 के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञापन का पैरा xvi निर्दिष्ट करता है कि इस्तीफ़ा ("तकनीकी औपचारिकता खंड" के तहत शामिल इस्तीफ़ा के अतिरिक्त) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना, अनुशासनात्मक कार्यवाई के कारण पदच्युति के मामलों में, वार्षिकी केवल सदस्य के योगदान, यदि कोई हो, और ब्याज पर आधारित होगी। हालांकि, उक्त कार्यालय ज्ञापन में "तकनीकी औपचारिकता खंड' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है।

"तकनीकी औपचारिकता खंड" के तहत इस्तीफ़ा में उन मामलों में इस्तीफा शामिल है जहां एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) कर्मचारी ने उचित माध्यम से उसी या अन्य सीपीएसई में एक पद के लिए आवेदन किया है और उक्त पद पर चयन होने पर, पिछले पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता है। अन्य कारणों से दिया गया इस्तीफा या यदि सक्षम प्राधिकारी ने उसे उचित माध्यम से अपना आवेदन अग्रेषित करने की अनुमति नहीं दी है तो यह इस्तीफ़ा है और पिछली सेवा का लाभ ग्राह्य नहीं होगा।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण केवल डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.20.8 और 21.05.2014 और एसबीएस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में सीपीएसई में लागू एसबीएस के प्रयोजनों के लिए है।सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से

अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई के ध्यान में उपर्युक्त तथ्य लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक

2. भारत के नियंत्रण एवं महालेखा-परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार
4. व्यय विभाग, ई-III-ए, ब्रांच, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
5. एनआईसी, डीपीई को अनुरोध के साथ की वे इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर लोड़ करें।